3372
11/9/17

राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप–2) विभाग

कमांक प. 15 (8) उद्योग/ग्रुप–2/2011 जयपुर, दिनांक: 08/09/2017

–: आदेश :–

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2013 के लिए आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवायें संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने के फलस्वरूप तथा आयोग द्वारा की गयी अभिशंषा एवं प्राथमिकता के आधार पर राजस्थान उद्योग सेवा नियम 1960 के प्रावधानानुसार निम्नलिखित अभ्यर्थियों को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय वेतन भत्तो पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से एतद्द्वारा सहायक निदेशक, उद्योग के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है:–

क्र. सं.	मैरिट नं.	रोल नं.	नाम अधिकारी	श्रेणी	जन्म दिनांक	विशेष विवरण
1.	206	919973	बलबीर चौधरी	सामान्य	29.12.1990	प्रोविजनल
2.	248	912530	आकाशदीप सिद्धु	सामान्य महिला	07.10.1989	प्रोविजनल
3.	370	930646	अन्जुला आसदेव	पि.व. महिला	05.02.1986	प्रोविजनल
4.	1205	934323	पूजा मेहरा	अ.जा. महिला	28.12.1991	प्रोविजनल
5.	1259	920356	संदीप ओसवाल	अ.जा.	15.11.1988	प्रोविजनल

उपरोक्त अभ्यर्थी हरिश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर (HCM RIPA) में दिनांक 11.09.2017 को प्रातः 9.30 बजे प्रारम्भ होने वाले आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देंगे। यदि उक्त अभ्यर्थियों में से किसी अभ्यर्थी ने पूर्व में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है तो वे दिनांक 11.09.2017 को प्रातः 9.30 बजे उद्योग (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (प्रशासनिक विभाग) में अपनी उपस्थिति देंगे। यह नियुक्ति आदेश आधारभूत प्रशिक्षण में एवं प्रशासनिक विभाग में उपस्थिति देने की तिथि से प्रभावी होंगे।

AD (Adm.)

- 8 SEP 2017

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगी:–

1. उक्त नियुक्ति आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर स्पेशल अपील संख्या 18272–76/2008 (सिविल अपील नं. 2049–2053/2011) तथा याचिका संख्या 140/11 एवं माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 6744/2008, 11200/2010 याचिका संख्या 1862/2013 और माननीय उच्च न्यायालय में लंबित सभी विभिन्न रिट याचिका/विशेष अनुमति याचिकाओं एवं वादकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी। इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय में दायर डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 334/2017 श्री भंवराराम चौधरी व अन्य में पारीत अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 तथा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन सं. 8020/17, 7815/17 व 7825/17 द्वारा देवेन्द्रपाल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में पारित अंतरिम निर्णय दिनांक 12.07.2017 की अनुपालना में नियुक्तियां उक्त आदेश के अध्यधीन रहेगी। इसी प्रकार डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 1488/16 झाबरमल ग्रहवाल तथा 1410/16 द्वारा लक्ष्मणसिंह बनाम आयोग के प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारीत संयुक्त निर्णय दिनांक 26.05.2017 के विरूद्व माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में एस.एल.पी. तथा एस.बी.सी.डब्ल्यू पी. सं. 13952/16 रामूराम बनाम राज्य सहित कुल 07 रिट याचिकाओं/प्रकरणें (यथा एसबीसीडब्लयूपी सं. 13952/16, 13473/16, 13930/16, 13953/16, 13994/16, 14398/16 व 15120/16) में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारीत संयुक्त निर्णय दिनांक 30.05.2017 के विरूद्व खण्डपीठ के समक्ष दायर की जाने वाली एस.एल.पी के निर्णय के अध्यधीन रहेगी। माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट. सं. 11200/2010 में अध्यधीन भी उक्त नियुक्तियां रहेगी।

2. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ 14 (1) FD/RULES/2013 PT दिनांक 08.06.2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगी।
3. गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 15 (1)कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णित प्रावधान प्रभावी होंगे।
4. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि वही है, जो इन्होनें परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
5. यह नियुक्ति अस्थायी है। सभी अभ्यर्थी राजस्थान उद्योग सेवा नियम, 1960 के नियम–27 के अन्तर्गत दो वर्ष की परीवीक्षाकाल में रहेंगे तथा उनका परीवीक्षाकाल सन्तोषजनक पाये जाने पर एवं उनके द्वारा उक्त नियमों में निहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर ही उनका स्थायीकरण किया जावेगा तथा दो वर्ष की अवधि के लिए समस्त अभ्यर्थी परिवीक्षाधीन काल पर रहेंगे। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में 2 बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
6. उक्त नियुक्तियां राजस्थान उद्योग सेवा नियम 1960 और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्याधीन होंगी।
7. यात्राभत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलो को छोडकर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. किसी अभ्यर्थी के दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक सन्तान होंने की स्थिति में नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं मानी जायेगी अर्थात नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
9. राज्य सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग, राज. जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 8 (1) कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के अनुसार दि. 01.04.2003 एवं इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर पूर्व से चले आ रहे पेंशन नियम लागू नहीं होंगे अपितु अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
10. जिन अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र संतोषजनक पाये जाने के अध्यधीन है। यदि किसी अभ्यर्थी के चरित्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र संतोषजनक नही पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेगे।
11. विवाहित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. उक्त अभ्यार्थियों में से कोई भी अभ्यार्थी प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्राशिक्षण की समाप्ति के दो वर्ष के भीतर त्यागपत्र दे देता या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान संदत्त किये गये परिलाभो की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति सदत्त करने की अपेक्षा की जावेगी तथापि यात्रा एव दैनिक भत्तो के रूप में सदत्त की गई राशि वसूली योग्य नही होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेगें।
13. उक्त अभ्यर्थियो में से कोई अभ्यार्थी निश्चित तिथि से सात दिवस के पश्चात भी उपस्थित नहीं होते है और ना ही कोई सूचना विभाग को भिजवाते है तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेगें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दुर्गा जोशी)
विशिष्ट शासन सचिव